

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 216]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 22, 1972/श्रावण 31, 1894

No. 216]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 22, 1972/SRAVANA 31, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 22nd August 1972

G.S.R. 386(E)/Ess.Com/Sugar.—In exercise of powers conferred by clause 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby makes the following Order to amend the Sugar (Packing and Marking) Order, 1970, namely:—

1. (1) This Order may be called the Sugar (Packing and Marking) Amendment Order, 1972.

(2) It shall come into force at once.

2. To item (ii) of sub-clause (2) of Clause 4 of the Sugar (Packing and Marking) Order, 1970, the following proviso shall be inserted, namely:—

Provided that in case of sugar not conforming to Indian Sugar Standard Grade, the label on the bag shall, instead of the Mark "ISS ☐ " bear the Mark "NON I.S.S. GRADE".

[No. 1-3/70-SPY.]

S. V. SAMPATH, Jt. Secy.

कृषि संचालक

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1972

सां. कां. निं. 386 [(अ)/आद्य. वस्तु/शर्करा.—शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करी हुए, केन्द्रीय सरकार शर्करा (पैकिंग और चिह्नन) आदेश, 1970 में उपासना करने के लिए राई द्वारा निम्नलिखित आदेश बताती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का नाम शर्करा "पैकिंग और चिह्नन" संशोधन आदेश, 1972 होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. शर्करा (पैकिंग और चिह्नन) आदेश, 1970 के खण्ड 4 के उपखण्ड (11) में निम्नलिखित शब्दों में संशोधन किया जाएगा, अर्थात्:—

परन्तु यदि शर्करा भारतीय शर्करा क अर्गी के अन्तर्गत हो तो धैले पर के लेबल पर "ISS □" चिह्न के बजाय "NON I.S.S." GRADE चिह्न अंकित होगा।

[सं. 1-3/70-एस. पी. वाई.]

एम. पी. सम्पद, संयुक्त पब्लिश